

2019/00065

फर्द अहकाम

माखी देवी बनाम रोहन साह वर्मा

न्यायालय

कस संख्या 48/2019 अन्तर्गत-द्वारा 188 RTA Act.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.10.19	शक्तिश पाटील वकील ने द्वावा पेश किया रिपोर्ट हो चुकी है-धारा 80(2) CrP का मागना-पत्र स्वीकार किया जाता है द्वावा दर्ज रजिस्टर है। प्रतिवाकील की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 22.11.19 को पेश हो।  Demp सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर)	
	22/11/19	वकीलों द्वारा आज कण्डोलेंस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आइतवार दिनांक 27/11/19 को पेश हो।	
	26/11/19	आज पत्रावली अधीन जारी कर के प्राप्ता पर तलबी गई। कादी सं. 1 व 3 ने प्राप्ता सिद्ध कर प्रकल्प लिखित किया कि प्रकरण के मध्य आपसी सहमत से राजीनामा ले गया। प्रकरण आगे कोई कार्यवाही नहीं चले है किना-चले है उक्त कारीगर की पक्षान्त उनके अधीन है। शक्तिश कुमार पारीक ने की है उक्त कारीगर सं. 1 व 3 का प्राप्ता के आधार पर खारिज किया जाता है। कादी सं. 2 की ओर से उनके अधीन के नोटिस किया गया। कादी सं. 2 की द्वा तक पत्रावली नोटिस के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल हुआ है कि पत्रावली के काम ले तथा दायित्व दायर है।  Demp	माखी देवी Demp Jindan 26/11/19 Not Press For Subst over Lokesh 26/11/19

